

(180)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
क्र. प.3(43)नविवि / ३ / २००९पार्ट

जयपुर, दिनांक - ८ FEB 2016

आदेश

विभाग द्वारा टाउनशिप पॉलिसी, 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा एवं अवंटन) नियम, 2012 में संशोधन हेतु जारी आवेदा द. प. ३(43)नविवि / ३ / २००९पार्ट विनांक 12.08.2015 से बिन्दु संख्या 'ब' का स्थान रद्दीकृति के लालात्त निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रिया जाता है :-

बिन्दु सं. 'ब' - प्रस्तावित स्थल उपरोक्त 'अ' में वांछित न्यूनतम पहुंच मार्ग मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्राप्त होता है तो ऐसे प्रकरणों में न्यूनतम पहुंच मार्ग 12 मीटर आवश्यक होगा तथा मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान में प्रस्तावित मार्गाधिकार सुनिश्चित करने हेतु आवेदक से मार्गाधिकार में आने वाली भूमि निःशुल्क समर्पित करायी जावेगी।

पूर्व में जारी आदेश दिनांक 12.08.2015 के बिन्दु संख्या 'अ' व 'स' यथावत रहेंगे।

(जगजीत प्रिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को खूबनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेष सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, रवायत्त भासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, रक्षानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समरेण।
9. रक्षित पत्रावली।

(लाला ब)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

Orders/Circulars